डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
वि.पू.भु./04 भोपाल-2002.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 मई 2002—वैशाख 17, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 मई 2002

क्र.3294-220-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 30 अप्रैल, 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १० सन् २००२.

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, २००२.

विषय-सूची

धारा

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा ८ का प्रतिस्थापन.
७. नई धारा १४-क का अंत:स्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १० सन् २००२.

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, २००२.

[दिनांक 30 अप्रैल, 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 7 मई, 2002 को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, २००२ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) "स्थापन" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कम्पनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नकद अनुदान प्राप्त कर रही है, कोई कार्यालय और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है और ऐसा स्थापन जिसमें आकस्मिक नियुक्तियां की जाती हैं किन्तु इसमें संविधान के अनुच्छेद ३० के अधीन आने वाले स्थापन सम्मिलित नहीं हैं;".

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, मद (२) तथा (४) का लोप किया जाए.

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्वशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

" पदों के आरक्षण के लिए प्रतिशतता का नियत किया जाना ओर मूल्यांकन के मानक.".

(दो) उपधारा (२) के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(एक) प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भरती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत ;—

अनुसूचित जाति	१६ प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	२० प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	१४ प्रतिशत";

(तीन) उपधारा (३) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) जब कभी सीधी भर्ती या पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां बिना भरी रह गई हैं तब बैकलॉग और/या अग्रनीत रिक्तियां पृथक् तथा सुभिन्न समूह मानी जाएंगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण की पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की, आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएंगी जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही हैं. अन्य शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उद्भूत हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बैकलॉग/अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां पृथक् तथा सुभिन्न समूह मानी जाएंगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होंगी:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरी ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी समय विशेष भर्ती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं तो उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा;".

(चार) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४-क) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में राज्य के कार्यकलाप से संबद्ध सेवाओं या पदों पर किसी वर्ग या वर्गों की भर्ती और पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा के अर्हकारी अंकों को शिथिल करने हेतु या मूल्यांकन का मानक कम करने के लिए उपबंध कर सकेगी.";

(पांच) उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(५-क) राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में नियम बना सकेगी या कोई अनुदेश जारी कर सकेगी.".

धारा ६ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) कोई नियुक्ति प्राधिकारी जिसे धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के लिए आशयित है या धारा १४-क के निबंधनों के अधीन मिथ्या प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करता है, नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसा कृत्य उस पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और ऐसे अवचार के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के साथ-साथ सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित किए जाने का दायी होगा और वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.".

धारा ८ का प्रतिस्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

चयन समिति में प्रतिनिधित्व.

"८. राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन/छानबीन या पदोन्नति समिति में, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जहां ऐसी समिति लोक सेवा या पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए व्यक्तियों का चयन करने के प्रयोजन के लिए या तो सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाती है, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति में, जैसी वह आवश्यक समझे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का नाम-निर्देशन करने के लिए उपबंध कर सकेगी.".

नई धारा १४-क का अंत:स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण.

"१४-क. प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नियुक्ति आदेश पर एक प्रमाण-पत्र इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.".

भोपाल, दिनांक 7 मई 2002

क्र. 3295-220-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10, सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2002

THE MADHYA PRADESH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON, ANUSUCHIT JANJATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN SANSHODHAN ADHINIYAM, 2002.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and Commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Amendment of Section 4.
5. Amendment of Section 6.
6. Substitution of Section 8.
7. Insertion of new Section 14-A.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2002

THE MADHYA PRADESH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON, ANUSUCHIT JANJATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN, SANSHODHAN ADHINIYAM, 2002.

[Received the assent of the Governor on the 30th April, 2002; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 7th May, 2002.]

An Act, to amend the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Sanshodhan Adhiniyam, 2002.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) "Establishment" means any office of the State Government or of a local authority or statutory authority constituted under any Act of the State for the time being in force, or a University or a company, corporation or a Co-operative society in which not less than fifty one percent of the paidup share capital is held by the State Government or the institutions receiving grant-in-aid or any cash grant from the State Government and includes a work charge or contingency paid establishment and such establishment in which casual appointments are made but does not include the establishments covered under Article 30 of the Constitution.".

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the Principal Act, item (2) and (4) shall be omitted.

Amendment of Section 4.

4. In Section 4 of the Principal Act.,—

(i) for the existing marginal heading the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"Fixation of percentage for reservation of posts and standard of evaluation";

(ii) for clause (i) of sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) at the State level, the following percentage of vacancies arising in a recruitment year, in class I, II, III and IV posts —

Scheduled Castes	16 percent
Scheduled Tribes	20 percent
Other Backward Classes	14 percent";

(iii) after clause (b) of sub-section (3), the following clause shall be inserted, namely :—

"(C) Wherever the reserved vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all cases of direct recruitment or promotion have remained unfilled in any earlier year or years, the backlog and/or carried forward vacancies would be treated as a separate and distinct group and will not be considered together with the reserved vacancies of the year in which they are being filled up in determining the ceiling of fifty percent reservation on total number of vacancies of that year. In other words, the ceiling of fifty percent on filling up the reserved vacancies would apply only on the reserved vacancies which arise in the current year and the backlog/carried forward reserved vacancies for Scheduled Castes or Scheduled Tribes of earlier year or years would be treated as a separate and distinct group and would not be subject to ceiling of fifty percent :

Provided that the appointing authority may at any time undertake a special recruitment to fill up such unfilled vacancies and if such vacancies remain unfilled, it shall not be de-reserved in any manner for filling up by the persons not belonging to the category for whom the post or posts are reserved";

(iv) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(4-A) The State Government may by general or special order make any provisions in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters of recruitment and promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the State.";

(v) after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(5-A) The State Government may make rules or issue any instructions in the matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of posts in the Civil services of the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.".

Amendment of Section 6.

5. For sub-section (1) of Section 6 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) Any appointing authority entrusted with the responsibility under sub-section (1) of Section 5, who wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this Act, or endorses a false certificate in terms of Section 14-A, such act of the appointing authority shall be deemed to be misconduct under the conduct or service rules applicable to him and for such misconduct be liable for disciplinary proceedings under the said rules as well as for prosecution by a court of competent jurisdiction and shall on conviction be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.".

Substitution of Section 8.

6. For Section 8 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

Representation in selection committee.

"8. The State Government may, by order, provide for nomination of officers belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the Selection/screening or promotion committee by whatever name called, to such extent and in such manner as it may consider necessary where such committee

is constituted either under the service rules or otherwise for the purpose of selecting persons for appointment or promotion to any public service or post.".

Insertion of new Section 14-A.

7. After Section 14 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Certification by the Appointing Authority.

"14-A Every appointing authority shall endorse on the appointment order to be issued by him, a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the instructions issued in the light of the provisions of the Act by the State Government and that he has full congnizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से।

...शित—2002.